

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

डी.बी. आयकर अपील संख्या 98/2024

प्रधान आयकर आयुक्त, जयपुर-1, जयपुर, नया केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर
(राजस्थान)

----अपीलकर्ता

बनाम

अमन एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल, जी-93, एपीआईपी वीआइवीए, औद्योगिक क्षेत्र, वीआइवीए, जयपुर

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता (ओं) के लिए : श्री अनुरूप सिंघी, अधिवक्ता,
श्री आदित्य खंडेलवाल, अधिवक्ता के साथ।
प्रतिवादी (ओं) के लिए :

श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

श्रीमान. जस्टिस आशुतोष कुमार

आदेश

26/09/2024

अवनीश झिंगन, जे.:

- यह अपील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 24.08.2023 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि करदाता ने कर निर्धारण वर्ष 2012-2013 से संबंधित आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें कुल आय 66,19,020/- रुपये घोषित की गई। कर निर्धारण अधिकारी (इसके बाद 'एओ') को यह सूचना प्राप्त हुई कि मेसर्स वीनस फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी') समायोजन प्रविष्टियाँ प्रदान करने में लिप्त है, इस पर आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम') की धारा 148 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई और अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत 15 लाख रुपये और अधिनियम की धारा 40 ए(3) के अंतर्गत 1,01,505 रुपये की वृद्धि की

(29/05/2025 को दोपहर 03:57:00 बजे डाउनलोड किया गया)

गई। सीआईटी (ए) द्वारा 03.03.2023 को अपील खारिज कर दी गई। करदाता न्यायाधिकरण के समक्ष सफल रहा और इसलिए, वर्तमान अपील।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कर प्रभाव पाँच लाख रुपये का है, लेकिन मामला अपवाद के अंतर्गत आता है। 3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कर प्रभाव पाँच लाख रुपये का है, लेकिन मामला अपवाद के अंतर्गत आता है।

4. न्यायाधिकरण ने अपील स्वीकार करते हुए विचार किया कि अधिनियम की धारा 148 के तहत कार्यवाही कोलकाता से प्राप्त एक सूचना पर शुरू की गई थी कि कंपनी समायोजन प्रविष्टियाँ प्रदान करने में लिप्त थी। यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि कंपनी से करदाता द्वारा लिया गया ऋण साक्ष्य द्वारा समर्थित था, अर्थात् (i) ऋण खाताधारक चेक के माध्यम से था; (ii) करदाता ने ऋण पर ब्याज का भुगतान किया और (iii) टीडीएस काटा; (iv) कंपनी की पहचान और ऋण पात्रता साबित हो गई थी और ऋणदाता कंपनी द्वारा लेनदेन की पुष्टि करते हुए हलफनामा न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया गया था जो निर्विवाद रहा और (v) ऋण वर्ष 2014 में चुका दिया गया था। न्यायाधिकरण ने आगे माना कि एओ द्वारा प्राप्त जानकारी कि कंपनी समायोजन प्रविष्टियाँ प्रदान करने में लिप्त थी, अपने आप में ऋण के वास्तविक लेनदेन को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और इसे जोड़ने का आधार बनाया गया। मुद्दा लेनदेन की वास्तविकता साबित करने का था और मामला परिपत्र संख्या 5/2024 के पैरा 3.1 (एच) में दिए गए अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है।

5. कर प्रभाव दो करोड़ रुपये से कम है, परिपत्र संख्या 9/2024 के मद्देनजर अपील को पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज किया जाता है। प्रस्तावित पर्याप्त कानूनी प्रश्न खुला रखा गया है।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/तनिषा/14

रिपोर्ट योग्य:- हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं

(29/05/2025 को दोपहर 03:57:00 बजे डाउनलोड किया गया)

ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी